मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की 22वीं बैठक, दिनांक 17.09.2013 का कार्यवाही विवरण।

——————

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय समिति की बाइसवीं बैठक दिनांक 17.09.2013 को अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संलग्न **परिशिष्ट–'अ'** अनुसार समिति के सदस्य एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये :–

1. **एजेण्डा क्रमांक–1** समिति की 21 वीं बैठक दिनांक 15.05.2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

2. **एजेण्डा क्रमांक–2** सदस्य सचिव द्वारा समिति की 21 वीं बैठक दिनांक 15.05.2013 का पालन प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति इक्कीसवीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में की गई कार्यवाही से अवगत हुई–

समिति द्वारा एजेण्डा क्र. 3 से 28 तक इकाईयों के क्लेम प्रकरणों पर चर्चा उपरांत लिये गये निर्णय का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	निरीक्षण अधिकारी / वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा मान्य सहायता राशि (लाख में)	अनुशंसित निवेश संवर्धन सहायता राशि (लाख में)	समिति द्वारास्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मेसर्स टेक्समो पाईप्स एण्ड प्रॉडक्ट्स लिमिटेड यूनिट–2, बुरहानपुर	12.09.2008	2719.80	पिछड़ा जिला श्रेणी–स	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 12.09.2008 से दिनांक 11.09.2013 तक (5 वर्ष)	2011–12	173.59 (75 प्रतिशत के आधार पर)	173.59 (75 प्रतिशत के आधार पर)	115.73 (50 प्रतिशत के आधार पर)
2.	मेसर्स पेब स्टील लॉयड (इंडिया) लि. पीथमपुर (सप्लीमेंट्री क्लेम)	01.08.2007	2437.01	पिछड़ा जिला श्रेणी–स	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 01.08.2007 से दि. 31.07.2017 तक (10 वर्ष)	2007–08	3.55	3.55	3.55
3.	मेसर्स नर्मदा एक्स्ट्रूजन्स लिमिटेड, पीथमपुर जिला धार (सप्लीमेंट्री क्लेम)	30.09.2006	597.50	पिछड़ा जिला श्रेणी–स	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 30.09.2006 से दिनांक 29.09.2011 (5 वर्ष)	2009–10	2.83	2.83	2.83
4.	मेसर्स विप्पी स्पिन प्रो लि. देवास	01.01.2006	634.60	पिछड़ा जिला श्रेणी–अ	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 31.12.2010 (5 वर्ष)	2005–06	0.46	0.46	0.46
5.	मेसर्स कमल स्पॉन्ज स्टील एण्ड पॉवर लि.लिमिटेड जिला सतना	15.03.2005	1947.82	पिछड़ा जिला श्रेणी 'अ'	50 प्रतिशत (दिनांक 15.03.2005 से 14.03.2010) 5 वर्ष	2005–06	68.16 (75 प्रतिशत के आधार पर)	45.44 (50 प्रतिशत के आधार पर)	प्रकरण स्थगित
6.	मेसर्स मेथोडेक्स सिस्टम लि., पीथमपुर जिला धार	25.06.2010	1598.92	पिछड़ा जिला श्रेणी 'स'	50 प्रतिशत (अवधि दिनांक 25.06.2010 से	2011–12	8.40 (75 प्रतिशत के	8.40 (75 प्रतिशत	5.60 (50 प्रतिशत के

क्रं.	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	निरीक्षण अधिकारी/ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा मान्य सहायता राशि (लाख में)	अनुशंसित निवेश संवर्धन सहायता राशि (लाख में)	समिति द्वारास्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					दिनांक 24.06.2015 तक) 5 वर्ष		आधार पर)	के आधार पर)	आधार पर)
7.	मेसर्स अग्रवाल इंडोटेक्स लि. खंडवा	01.09.2007	1957.70	पिछड़ा जिला–''स''	75 प्रतिशत दि. 01.09.2007 से दि. 31.08.2017 (10 वर्ष)	2009–10	31.28	31.28	5.65 (टीडीएस की राशि समायोजन के पश्चात)
8.	मेसर्स केसर अलॉयज एंड मेटल्स प्रा.लि. पीथमपुर	24.02.2010	1082.92	पिछड़ा जिला श्रेणी 'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 24.02.2010 से दिनांक 23.02.2020 (10 वर्ष)	2011–12	69.07	69.07	प्रकरण स्थगित
9.	मेसर्स पॉलिमर पैकेजिंग, पीथमपुर	05.03.2009	1808.83	पिछड़ा जिला श्रेणी 'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 05.03.2009 से दिनांक 04.03.2019 तक (10 वर्ष)	2011–12	127.49	127.49	127.49
10.	मेसर्स ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (केमिकल डिवीजन) उज्जैन	01.02.2007	8712.70	'अ'	75 प्रतिशत दिनांक 01.02.2007 से 31.01.2012 (5 वर्ष)	2009–10	233.24	233.24	233.24
11.	मेसर्स भण्डारी फॉईल्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (यूनिट–3) देवास	26.03.2006	1154.25	'अ'	50 प्रतिशत (दिनांक 26.03.2006 से 25.03. 2011) 5 वर्ष	2009–10	78.93	78.93	78.93
12.	मेसर्स धानुका एक्स्ट्रेक्शन प्रा.लि., जिला नीमच	31.03.2009	1065.15	श्रेणी 'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 31.03.2009 से दिनांक 30.03.2019 तक(10 वर्ष)	2011–12	233.55	233.55	प्रकरण स्थगित
13.	मेसर्स आज्ञा ऑटो लिमिटेड, यूनिट–2, पीथमपुर जिला धार	24.07.2011	1042.94	'स'	75 प्रतिशत (दिनांक 24.07.2011 से 23.07.2021) 10 वर्ष	2011–12	35.94	35.94	35.94
14.	मेसर्स श्री तिरूपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि. पीथमपुर जिला धार	01.03.2008	361.79	पिछड़ा जिला श्रेणी 'स'	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 01.03.2008 से दिनांक 28.02.2013 तक (5 वर्ष)	2009–10	12.51	12.51	12.51
15.	मेसर्स महिन्द्रा स्टील सर्विस सेन्टर लिमिटेड, मण्डीदीप जिला रायसेन	03.03.2010	3101.70	'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 03.03.2010 से 02.03.2020 तक (10 वर्ष)	2010–11	87.83	87.83	87.83
16.	मेसर्स नेशनल स्टील एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट–1, जिला धार	05.11.2012	3910.52	श्रेणी 'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 31.03.2010 से दिनांक 30.03.2020 तक (10 वर्ष)	2012–13	235.63	235.63	235.63
17.	मेसर्स पोरवाल ऑटो कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड, पीथमपुर	02.02.2008	1547.01	पिछड़ा जिला श्रेणी 'स'	75 प्रतिशत दिनांक 02.02.2008 से 01.02.2018 तक (10 वर्ष)	2010–11	118.63	118.63	118.63
18.	मेसर्स कृष्णा आईलस् एंड प्रोटीन्स प्रा.लि. जिला उज्जैन	22.10.2008	450.23	पिछड़ा जिला –'स' श्रेणी	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 22.10.2008 से दिनांक 21.10.2013 तक(05 वर्ष)	2009–10	30.07	30.07	प्रकरण स्थगित
19.	मेसर्स आरएसपीएल लिमिटेड, पीथमपुर	09.02.2010	4817.36	पिछड़ा जिला श्रेणी 'स'	75 प्रतिशत 10 वर्ष (09.02.2010 से 08.02. 2020)	2009–10	12.58	12.58	12.58
20.	मेसर्स सुन्दरम पैकेजिंग इण्डिया प्रा.लि. पीथमपुर	29.12.2008	1832.95	पिछड़ा जिला श्रेणी 'स'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 29.12.2008 से दिनांक 28.12.2018 (10 वर्ष)	2011–12	156.00	156.00	156.00

क्रं.	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	निरीक्षण अधिकारी/ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा मान्य सहायता राशि (लाख में)	अनुशंसित निवेश संवर्धन सहायता राशि (लाख में)	समिति द्वारास्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	मेसर्स किसान इरिगेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर (पूर्व नाम मेसर्स किसान इरिगेशन लिमिटेड) पीथमपुर, जिला धार	24.11.2007	742.58	पिछड़ा जिला श्रेणी 'स'	50 प्रतिशत अवधि दिनांक 24.11.2007 से दिनांक 23.11.2012 तक (5 वर्ष)	2010–11	98.54	98.54	98.54
22.	मेसर्स यूनिवर्सल केबिल्स लिमिटेड, सतना	29.03.2007	6782.53	पिछड़ा जिला श्रेणी 'अ'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 29.03.2007 से दिनांक 28.03.2014 तक (7 वर्ष)	2010–11	363.15	363.15	363.15
23.	मे. क्वालिटी वोवेन सेक्स प्रा.लि. उद्योग विहार, रीवा	26.03.2010	1807.62	श्रेणी 'स'	75 प्रतिशत दि. 26.03.2008 से दि. 25.03.2018 तक (10 वर्ष)	2010–11	189.24	189.24	189.24
24.	मेसर्स तिरूपति कोरोगेटर्स, उज्जैन	28.10.2010	1083.27	पिछड़ा जिला श्रेणी–'अ'	75 प्रतिशत अवधि दिनांक 28.10.2010 से दिनांक 27.10.2020 तक (10 वर्ष)	2011–12	134.03	134.03	134.03
25.	मेसर्स श्रीनिवास कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स प्रा.लि. (पूर्व नाम श्रीनिवास पेट प्रा.लि.) उज्जैन	31.10.2010	2651.83	पिछड़ा जिला श्रेणी–'अ'	75 प्रतिशत दिनांक 31.10.2010 से 30.10.2020 तक (10 वर्ष)	2010–11	27.72	27.72	27.72
26.	मेसर्स वर्धमान यार्न (ए यूनिट ऑफ वधर्मान टेक्सटाईल लिमिटेड) सतलापुर (मण्डीदीप) जिला रायसेन	15.05.2007	21098.00	पिछड़ा जिला श्रेणी–'स'	75 प्रतिशत दिनांक 15.05.2007 से 14.05.2017 तक (10 वर्ष)	2008–09	पूरक प्रकरण	पूरक प्रकरण	प्रकरण स्थगित

उपरोक्तानुसार प्रकरणों पर लिये गये निर्णय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

1. **एजेण्डा क्रमांक 3 – मेसर्स टेक्समो पाईप्स एण्ड प्रॉडक्ट्स लिमिटेड यूनिट–2, बुरहानपुर :–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011–12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला ''स'' श्रेणी में विद्यमान इकाई में विस्तार किया है। विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 12.09.2008 है। वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 एवं 2010–11 हेतु इकाई द्वारा क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वर्ष 2011–12 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। इकाई का उत्पादन दिनांक की स्थिति में योजनान्तर्गत मान्य योग्य स्थायी पूंजी निवेश रू. 359.07 लाख तथा उत्पादन दिनांक से तीन वर्षो में किया गया पूंजी निवेश रू. 2360.72 लाख कुल 2719.79 लाख है।

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06.10.2012 में लिये गये निर्णय अनुसार बढ़े हुए पूंजी निवेश के आधार पर इकाई को बढ़े हुए पूंजी निवेश के दिनांक से 50 प्रतिशत एवं पात्रता अवधि 05 वर्ष के स्थान पर 75 प्रतिशत एवं पात्रता अवधि 10 वर्ष तक निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता हो सकेगी। इकाई द्वारा उत्पादन दिनांक तक एवं उत्पादन दिनांक के पश्चात् 3 वर्ष की अवधि में किये गये अतिरिक्त पूंजी निवेश सहित कुल पूंजी निवेश रू. 2719.79 लाख किया जा चुका है। अतः वर्ष 2011–12 हेतु इकाई को बढ़े हुए पूंजी निवेश के अनुसार 75 प्रतिशत सुविधा एवं पात्रता अवधि 10 वर्ष तक के लिए होनी चाहिए, परंतु समिति द्वारा दिनांक 06.10.2012 में लिये गये निर्णय की पुष्टि वित्त विभाग से अपेक्षित है।

अतः समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत इकाई के पक्ष में वर्ष 2011–12 हेतु इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 2719.79 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 12.09.2008 से 11.09.2013 (05 वर्ष) मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2011–12 में चुकाये गये कर रू. 231.46 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 115.73 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान में इकाई के पक्ष में 50 प्रतिशत सहायता अर्थात् रू. 115.73 लाख वितरित की जाये, शेष 25 प्रतिशत सहायता राशि रू. 57.86 लाख का वितरण एवं बढ़ी हुई पात्रता अवधि की सुविधा वित्त विभाग से पुष्टि प्राप्त हो जाने के पश्चात् की जा सकेगी।

2. **एजेण्डा क्रमांक 4 – मेसर्स पेब स्टील लॉयड (इंडिया) लि. प्लाट क्रं.–3बी, खेड़ा ग्रोथ सेन्टर, पीथमपुर :–**

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16.11.2011 में मेसर्स पेब स्टील लॉयड इण्डिया लिमिटेड, पीथमपुर जिला धार का वर्ष 2007–08 का क्लेम कर पुष्टि आदेश एवं कर निर्धारण आदेश के अनुसार स्वीकृत किया जाकर इकाई के पक्ष में क्लेम राशि रू. 32.48 लाख वितरित की जा चुकी है।

इकाई के अनुरोध के आधार पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर द्वारा यह अवगत कराया गया है कि तत्समय इकाई के पक्ष में की गई कर गणना में रू. 4.73 लाख कम की गई थी। महाप्रबंधक, पीथमपुर से अब प्राप्त अनुशंसा के आधार पर इकाई के पक्ष में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संशोधित कर निर्धारण किया जा चुका है।

संशोधित कर निर्धारण आदेश के आधार पर इकाई को वर्ष 2007–08 मे शेष जमा कर की राशि रू. 4.73 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 3.55 लाख अतिरिक्त निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर एवं वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर इकाई को वर्ष 2007–08 हेतु पूरक क्लेम राशि रू. 3.55 लाख स्वीकृत की गई।

3. एजेण्डा क्रमांक 5 – मेसर्स नर्मदा एक्स्ट्रूजन्स लिमिटेड, पीथमपुर जिला धार :–

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 26.09.2012 में इकाई का वर्ष 2009–10 का क्लेम स्वीकृत किया जाकर इकाई के पक्ष में क्लेम राशि रू. 28.54 लाख वितरित की जा चुकी है।

वर्ष 2009–10 हेतु तत्समय स्वीकृत क्लेम में एक उत्पाद 'फैब्रिक' पर सुविधा प्रदान नहीं की गई थी क्योंकि उक्त उत्पाद पंजीयन में सम्मिलित नहीं था। तत्पश्चात् इकाई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 21.08.2008 के आधार पर राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 में, इकाई के उत्पाद 'फैब्रिक' को आवेदन के दिनांक 21.08.2008 से निवेश संवर्धन सहायता हेतु पंजीयन में जोड़े जाने का निर्णय लिये जाने से संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

उपरोक्त आधार पर इकाई को वर्ष 2009–10 में अन्य पंजीकृत उत्पादों के साथ 'फैब्रिक' पर भी वर्ष 2009–10 में निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता है। इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 हेतु प्राप्त क्लेम रू. 28.54 लाख में 'फैब्रिक' पर चुकाये गये कर पर सुविधा सम्मिलित नहीं होने से वर्ष 2009–10 के लिये सिर्फ 'फैब्रिक' उत्पाद पर सुविधा हेतु पूरक क्लेम प्रस्तुत किया है।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर द्वारा इकाई के पक्ष में फेब्रिक हेतु वर्ष 2009–10 के पूरक क्लेम में चुकाये गये कर रू. 5.66 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 2.83 लाख निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता होने की अनुशंसा की गई है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर एवं वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 हेतु फैब्रिक्स पर चुकाये गये कर रू. 5.66 लाख (कच्चा माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 2.83 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

4. एजेण्डा क्रमांक 6 – मेसर्स विप्पी स्पिन प्रो लि. देवास :–

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 में इकाई का विस्तार अंतर्गत वर्ष 2005–06 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा तत्समय

प्रकरण इस आधार पर निरस्त किया गया था कि इकाई का वर्ष 2005–06 में कुल उत्पादन इकाई की मूल वार्षिक उत्पादन क्षमता से अन्दर रहा है अतः उस वित्तीय वर्ष में इसे विस्तार पर सुविधा की पात्रता नहीं है।

राज्य स्तरीय समिति के उक्त निर्णय के विरूद्व इकाई द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में प्रस्तुत तथ्य निम्नानुसार है :–

अ. इकाई की कॉटन यार्न उत्पाद हेतु मूल स्थापित क्षमता 4380 एम.टी तथा विस्तार अन्तर्गत क्षमता 4620 एम.टी. तथा विस्तार अंतर्गत उत्पादन दिनांक 01.01.2006 है।

ब. वर्ष 2005–06 मे वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इकाई के पक्ष में जारी कर पुष्टि आदेश में स्थापित क्षमता अन्तर्गत उत्पादन 1095 एम.टी. दर्शाया गया था जो कि सम्पूर्ण वर्ष की कुल क्षमता का एक चौथाई अर्थात् तीन माह के उत्पादन के आधार पर दर्शाया गया था। इससे यह आभास होता था कि उस वर्ष में इकाई का मूल क्षमता अन्तर्गत उत्पादन 1095 एम.टी है। अतः विस्तार अन्तर्गत दर्शाये गये उत्पादन 96.25 एम.टी को मूल क्षमता अन्तर्गत उत्पादन मानते हुए इकाई का आवेदन अमान्य किया गया था।

स. इकाई द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2005–06 में कुल उत्पादन 4778.94 एम.टी किया गया है, जो कि मूल क्षमता (4380 एम.टी) से अधिक है अतः इकाई को मूल क्षमता से अधिक किये गये उत्पादन पर विस्तार अन्तर्गत निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता आती है।

उपरोक्त तथ्यों एवं वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर इकाई को वर्ष 2005–06 हेतु विस्तारित क्षमता अन्तर्गत इकाई का स्थाई पूंजी निवेश रू. 634.60 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2010 तक (05 वर्ष) मान्य करते हुए समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2005–06 में चुकाये गये कर रू. 0.91 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 0.45 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

5. एजेण्डा क्रमांक 7 – मेसर्स कमल स्पॉन्ज स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड ग्राम संगमा, जिला सतना :–

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2005–06 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई द्वारा विद्‌यमान इकाई में विस्तार एवं डायवर्सिफिकेशन किया है। विस्तार एवं डायवर्सिफिकेशन अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक क्रमशः 15.03.2005 एवं दिनांक

15.04.2005 है। वर्ष 2005–06 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम जो डायवर्सिफाईड उत्पाद के विक्रय पर चुकाये गये कर की राशि की सुविधा चाही गई है।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा बैठक के दौरान प्रतिवेदित किया गया है कि इकाई द्वारा विद्यमान क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किये जाने से लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही यह अवगत कराया गया कि वर्ष 2005–06 में रू. 6,861.00 प्रान्तीय कर एवं रू. 6,95,183.00 केन्द्रीय कर बकाया है।

समिति द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि इकाई के डायवर्सिफाईड उत्पाद एमएस इनगॉट के लिए स्पंज आयरन तथा एमएस बार के लिए एमएस इनगॉट इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट है। अतः इकाई से उक्त उत्पादों के वास्तविक उत्पादन, उत्पाद की विक्रय मात्रा एवं राशि तथा विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन के अन्तर्गत किये गये विक्रय के लिए जमा कर राशि (जिसमें क्रय कच्चे माल पर चुकाये गये कर की राशि सम्मिलित नहीं) की जानकारी के साथ विस्तार एवं डायवर्सिफिकेशन हेतु किये गये पूंजी निवेश की जानकारी पृथक–पृथक ली जाये तथा कर जमा न करने के संबंध में भी जानकारी ली जावे। उक्त जानकारी के परीक्षण उपरांत प्रकरण आगामी बैठक में समिति के विचारार्थ रखा जाये।

6. **एजेण्डा क्रमांक 8– मेसर्स मेथोडेक्स सिस्टम लि., प्लाट क्रमांक 91–93, सेक्टर–3, औ. क्षेत्र, पीथमपुर जिला धार :–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011–12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की ''स'' श्रेणी के अंतर्गत नवीन इकाई स्थापित है, जिसका उत्पादन दिनांक 25.06.2010 है। अतः वर्ष 2011–12 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। इकाई के प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक तक योजनान्तर्गत स्थायी पूंजी निवेश रू. 926.28 लाख मान्य किया जा चुका है। इकाई ने उत्पादन दिनांक के पश्चात वर्ष 2011–12 में अतिरिक्त पूंजी निवेश रू. 672.64 लाख किया है। इस प्रकार कुल मान्य पूंजी निवेश 1598.92 लाख है।

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06.10.2012 में लिये गये निर्णय अनुसार बढ़े हुए पूंजी निवेश के आधार पर इकाई को बढ़े हुए पूंजी निवेश के दिनांक से 50 प्रतिशत एवं पात्रता अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 75 प्रतिशत एवं पात्रता अवधि 10 वर्ष तक निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता हो सकेगी। इकाई द्वारा उत्पादन दिनांक के पश्चात् वर्ष 2011–12 में अतिरिक्त पूंजी निवेश रू. 672.04 लाख किया है। अतः वर्ष 2011–12 हेतु इकाई को बढ़े हुए पूंजी निवेश के अनुसार 75 प्रतिशत एवं अवधि

10 वर्ष तक सुविधा की पात्रता होनी चाहिए, परंतु समिति द्वारा दिनांक 06.10.2012 में लिये गये निर्णय की पुष्टि वित्त विभाग से अपेक्षित है।

अतः समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत इकाई के पक्ष में वर्ष 2011–12 हेतु इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1598.92 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 25.06.2010 से 24.06.2015 तक (05 वर्ष) मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2011–12 में चुकाये गये कर रू. 11.20 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 5.60 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान में इकाई के पक्ष में 50 प्रतिशत सहायता अर्थात् रू. 5.60 लाख वितरित की जाये, शेष 25 प्रतिशत सहायता राशि रू. 2.80 लाख का वितरण एवं बढ़ी हुई पात्रता अवधि की सुविधा वित्त विभाग से पुष्टि प्राप्त हो जाने के पश्चात् की जा सकेगी।

7. **एजेण्डा क्रमांक 9 – मेसर्स अग्रवाल इंडोटेक्स लि. अग्रवाल नगर, छैगांवमाखन, खंडवा :–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 01.09.2007 है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान विचारोपरांत योजनान्तर्गत इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1957.70 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.09.2007 से दि. 31.08.2017 तक (10 वर्ष) मान्य किया जा चुका है।

प्रकरण के सन्दर्भ में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में रू. 41,71,566.00 कर चुकाया गया है जबकि कॉटन की रू. 7.53 लाख खरीदी के समय इकाई द्वारा रू. 34,17,613.00 टीडीएस (नोशनल आईटीआर) के रूप में अपने पास रखे गये हैं। वाणिज्यिक कर विभाग के अनुसार, टीडीएस की राशि चुकाये गये कर से कम होने के कारण उक्त राशि को समायोजित करने के पश्चात् शेष राशि रू. 7,53,953.00 के लिये इकाई को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता आती है। समिति द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि इकाई के पक्ष में योजनान्तर्गत टीडीएस की राशि कम करने के उपरांत जमा कर की राशि

रू. 7,53,953.00 का 75 प्रतिशत 5,65,465.00 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

8. **एजेण्डा क्रमांक 10 – मेसर्स केसर अलॉयज एंड मेटल्स प्रा.लि. प्लाट क्रं. 117–118, सेक्टर–3, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर :–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011–12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई द्वारा विद्‌यमान इकाई में डायवर्सिफाइड उत्पाद का उत्पादन प्रारंभ किया है। डायवर्सिफिकेशन अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 24.02.2010 है। वर्ष 2011–12 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम के दौरान योजनान्तर्गत इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1082.92 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 24.02.2010 से दिनांक 23.02.2020 तक (10 वर्ष) मान्य किया जा चुका है।

समिति को अवगत कराया गया कि इकाई के मूल उत्पाद एमएस इनगॉट जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 11000 मेट्रिक टन, एवं डायवर्सिफाईड उत्पाद के टीएमटी बार की वार्षिक उत्पादन क्षमता 18000 मेट्रिक टन है। इकाई डायवर्सिफाइड उत्पाद का वर्ष 2011–12 में किये गये 15679 एम.टी. उत्पादन के विक्रय के लिये जमा किये कर पर सुविधा की मांग की गई है।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विद्यमान इकाई द्वारा विगत 3 वर्षो में किये गये औसत उत्पादन या विद्यमान क्षमता, जो भी अधिक हो, से अधिक के अतिरिक्त उत्पादन पर ही सुविधा का लाभ उपलब्ध होगा। जिस औद्योगिक इकाई द्वारा विद्यमान क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है, को इस अधिसूचना के अधीन लाभ नहीं मिलेगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचारोपंरात निर्णय लिया गया कि इकाई के डायवर्सिफाईड उत्पाद टीएमटी बार के लिए एमएस इनगॉट इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट है। अतः इकाई से उक्त उत्पादों के वास्तविक उत्पादन, उत्पाद की विक्रय मात्रा एवं राशि तथा जमा कर (जिसमें क्रय कच्चे माल पर चुकाये गये कर की राशि सम्मिलित नहीं) की जानकारी पृथक–पृथक ली जाये। उक्त जानकारी के परीक्षण उपरांत प्रकरण आगामी बैठक में समिति के विचारार्थ रखा जाये।

9. **एजेण्डा क्रमांक 11– मेसर्स पॉलिमर पैकेजिंग ग्राम धन्नड़खुर्द, सेक्टर–1, पीथमपुर :–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011–12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 05.03.2009 है। वर्ष 2011–12 हेतु इकाई से प्राप्त यह चतुर्थ क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम के दौरान उत्पादन दिनांक तक स्थायी पूंजी निवेश रू. 1589.62 लाख एवं

सुविधा अवधि दिनांक 05.03.2009 से दिनांक 04.03.2019 तक (10 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई का उत्पादन दिनांक के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि में मान्य स्थायी पूंजी निवेश रू. 219.21 लाख है। इस प्रकार कुल पूंजी निवेश रू. 1808.83 लाख मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2011–12 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 169.98 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 127.49 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

10. **एजेण्डा क्रमांक 12 – मेसर्स ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (केमिकल डिवीजन) बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन :–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तार एवं तकनीकी उन्नयन है। विस्तार एवं तकनीकी उन्नयन अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.02.2007 है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम के दौरान स्थायी पूंजी निवेश रू. 8712.70 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.02.2007 से 31.01.2012 तक (5 वर्ष) मान्य मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 310.99 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 233.24 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

11. **एजेण्डा क्रमांक 13 – मेसर्स भण्डारी फॉईल्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (यूनिट–3) डी–1, डी–4, औद्योगिक क्षेत्र क्र. 1, देवास :–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 26.03. 2006 है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह चतुर्थ क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1154.25 लाख एवं सुविधा अवधि दनांक 26.03.2006 से 25.03.2011 तक (5 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 157.86 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 78.93 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

12. **एजेण्डा क्रमांक 14 – मेसर्स धानुका एक्स्ट्रेक्शन प्रा.लि. ग्राम जमुनियाकलां, जिला नीमच :–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011–12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। प्रकरण के सन्दर्भ में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार इकाई

द्वारा वर्ष 2011–12 में रू. 311.40 लाख कर चुकाया गया है जबकि सोयाबीन की खरीदी के समय इकाई द्वारा रू. 728.81 लाख टीडीएस के रूप में अपने पास रखे गये हैं। वाणिज्यिक कर विभाग के अनुसार, टीडीएस की राशि चुकाये गये कर से अधिक होने के कारण इकाई को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता नहीं आती है। समिति द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि टीडीएस का लाभ प्राप्त कर रही इकाईयो के प्रकरण, योजनान्तर्गत उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता के संबंध में शासन स्तर पर विचाराधीन है। अतः शासन निर्णय होने तक प्रकरण विलंबित रखा जाये।

13. **एजेण्डा क्रमांक 15 – मेसर्स आज्ञा ऑटो लिमिटेड, यूनिट–2 प्लॉट क्र. 51–ए एवं 51–बी, सेक्टर–3, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला धार :–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011–12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 24.07.2011 है। वर्ष 2011–12 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा विचारोपरांत योजनान्तर्गत इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1042.94 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 24.07.2011 से 23.07.2021 तक (10 वर्ष) मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2011–12 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 47.92 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 35.94 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

14. **एजेण्डा क्रमांक 16 – मेसर्स श्री तिरूपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि. प्लॉट क्र. 192, सेक्टर–1, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर जिला धार :–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.03.2008 है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 361.79 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.03.2008 से दिनांक 28.02.2013 तक (5 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 25.03 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 12.51 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

15. **एजेण्डा क्रमांक 17 – मेसर्स महिन्द्रा स्टील सर्विस सेन्टर लिमिटेड सी 10–11, फेस–2, औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप जिला रायसेन :–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010–11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 03.03.2010 है। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 3101.70 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 03.03.2010 से 02.03.2020 तक (10 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2010–11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 117.11 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 87.83 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

16. **एजेण्डा क्रमांक 18 – मेसर्स नेशनल स्टील एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट–1, ग्राम सेजवाया (घाटाबिल्लौद) तहसील व जिला धार :–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2012–13 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तरित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 05.11.2012 है। वर्ष 2012–13 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है।

इकाई का उत्पाद जी.पी. स्वाईल/शीट म.प्र. उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2010 के अन्तर्गत अपात्र उद्योगों की सूची में शामिल है, परन्तु शासन के आदेश क्र. एफ–25/2012/बी–ग्यारह दिनांक 23.10.2012 के अनुसार शीर्ष समिति द्वारा इकाई की परियोजना में प्रस्तावित निवेश, रोजगार सृजन एवं परियोजना आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थापित होने से विशेष महत्व की परियोजना मान्य कर उद्योग संवर्धन नीति 2010 (संशोधित 2012) में घोषित सुविधा का लाभ विस्तारित क्षमता हेतु देने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय से समिति अवगत हुई।

समिति द्वारा शीर्ष स्तरीय समिति के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विचारोपरांत योजनान्तर्गत इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 3910.52 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 31.03.2010 से दिनांक 30.03.2020 तक (10 वर्ष) मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2012–13 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 314.18 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 235.63 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

17. **एजेण्डा क्रमांक 19 – मेसर्स पोरवाल ऑटो कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड 209, सेक्टर–1, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर :–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010–11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 02.02.2008 है। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम की

स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1547.01 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 02.02.2008 से 01.02.2018 तक (10 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2010–11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 158.18 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 118.63 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

18. **एजेण्डा क्रमांक 20 – मेसर्स कृष्णा ऑईल्स एंड प्रोटीन्स प्रा.लि. ग्राम जवासिया कुमार तह. उज्जैन, जिला उज्जैन :–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। प्रकरण के सन्दर्भ में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में रू. 60.14 लाख कर चुकाया गया है जबकि सोयाबीन की खरीदी के समय इकाई द्वारा रू. 196.14 लाख टीडीएस के रूप में अपने पास रखे गये हैं। वाणिज्यिक कर विभाग के अनुसार, टीडीएस की राशि चुकाये गये कर से अधिक होने के कारण इकाई को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता नहीं आती है। समिति द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि टीडीएस का लाभ प्राप्त कर रही इकाईयों को, योजनान्तर्गत उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता के संबंध में प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। अतः शासन निर्णय होने तक प्रकरण विलंबित रखा जाये।

19. **एजेण्डा क्रमांक 21 – मेसर्स आरएसपीएल लिमिटेड, प्लॉट क्र. 65, 74–90 एवं 123 एस4/3, एस4/4, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर–3, पीथमपुर :–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित एवं डायवर्सिफाइड है। विस्तार एवं डायवर्सिफिकेशन अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 09.02.2010 है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा विचारोपरांत योजनान्तर्गत इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 4817.36 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 09.02.2010 से 08.02.2020 तक (10 वर्ष) तथा विलंब से प्रस्तुत आवेदन में बताये गये कारणों को मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 16.77 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 12.58 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

20. एजेण्डा क्रमांक 22 – मेसर्स सुन्दरम पैकेजिंग इण्डिया प्रा.लि. प्लॉट क्र. 111 से 128, सेक्टर–3, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर :–

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011–12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 29.12.2008 है। वर्ष 2011–12 हेतु इकाई से प्राप्त यह चतुर्थ क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1832.95 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 29.12.2008 से दिनांक 28.12.2018 तक (10 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2011–12 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 208.01 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 156.00 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

21. एजेण्डा क्रमांक 23 – मेसर्स किसान इरिगेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर (पूर्व नाम मेसर्स किसान इरिगेशन लिमिटेड) प्लॉट क्र. 91–110, सेक्टर–3, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला धार :–

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010–11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 24.11.2007 है। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई से प्राप्त यह चतुर्थ क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 742.58 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 24.11.2007 से दिनांक 23.11.2012 तक (5 वर्ष) मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2010–11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 197.08 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 98.54 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

उपरोक्त राशि का वितरण योजनान्तर्गत वांछित दस्तावेज प्राप्त कर संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र में इकाई का नाम परिवर्तन होने के पश्चात् किया जायेगा।

22. एजेण्डा क्रमांक 24 – मेसर्स यूनिवर्सल केबिल्स लिमिटेड वार्ड नं. 9, कोलगवां, पो.आ. बिरला विकास, सतना :–

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010–11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई तकनीकी उन्नयन है। तकनीकी उन्नयन अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 29.03.2007 है। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई से प्राप्त यह चतुर्थ क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 6596.62 लाख

एवं सुविधा अवधि दिनांक 29.03.2007 से दिनांक 28.03.2014 तक (7 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2010–11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 476.85 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 357.64 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

23. **एजेण्डा क्रमांक 25 – मेसर्स क्वालिटी वोवेन सेक्स प्रा0लि0, प्लाट नं. 9, 10 एवं 11 चौरहटा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, उद्योग विहार, रीवा :–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010–11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 26.03.2010 है। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1056.66 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 26.03.2008 से दि. 25.03.2018 तक (10 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई का उत्पादन दिनांक के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि में मान्य स्थायी पूंजी निवेश रू. 750.96 है। इस प्रकार कुल पूंजी निवेश रू. 1807.62 मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2010–11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 252.32 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 189.24 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

24. **एजेण्डा क्रमांक 26 – मेसर्स तिरूपति कोरोगेटर्स 8 औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड़ उज्जैन :–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011–12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है एवं उत्पादन दिनांक 28.10.2010 है। वर्ष 2011–12 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1083.27 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 28.10.2010 से दिनांक 27.10.2020 तक (10 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2011–12 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 178.71 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 134.03 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

25. **एजेण्डा क्रमांक 27 – मेसर्स श्रीनिवास कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स प्रा.लि. (पूर्व नाम श्रीनिवास पेट प्रा.लि.) 8–9, औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड, उज्जैन :–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010–11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 31.10.

2010 है। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा विचारोपरांत योजनान्तर्गत इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 2651.83 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 31.10.2010 से 30.10.2020 तक (10 वर्ष) मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2010–11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 36.96 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 27.72 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

उपरोक्त राशि का वितरण योजनान्तर्गत वांछित दस्तावेज प्राप्त कर संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र में इकाई का नाम परिवर्तित होने के पश्चात् किया जायेगा।

26. एजेण्डा क्रमांक 28 – मेसर्स वर्धमान यार्न (ए यूनिट ऑफ वधर्मान टेक्सटाईल लिमिटेड) औद्योगिक क्षेत्र, सतलापुर (मण्डीदीप) जिला रायसेन :–

राज्य स्तरीय समिति की इक्कीसवीं बैठक दिनांक 15.05.2013 में इकाई के वर्ष 2008–09 का क्लेम प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इकाई के पक्ष में अंतिम उत्पाद 'यार्न' पर चुकाये गये कुल कर रू. 246.04 लाख में से समानुपातिक आधार पर 'यार्न' पर प्राप्त आईटीआर रू. 49.23 लाख कम करते हुए शेष कर राशि रू. 196.81 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात रू. 147.60 लाख निवेश संवर्धन सहायता प्रस्तावित की गई थी। बैठक के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिमत के आधार पर समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के पक्ष में रू. 123.01 लाख राशि स्वीकृत की गई थी जिसका वितरण इकाई के पक्ष में वाणिज्यिक कर विभाग को किया जा चुका है।

समिति द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के विरूद्ध इकाई द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें मुख्यतः कुछ न्यायालयीन प्रकरणों का उल्लेख कर यह बताया गया है कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाले वेस्ट एवं स्क्रैप उत्पादन प्रक्रिया का ही हिस्सा है, जिसके विक्रय पर चुकाये जाने वाले कर पर भी इकाई को निवेश संवर्धन सहायता प्राप्त होनी चाहिए। उक्त आधार पर सहायता राशि रू. 123.01 लाख के स्थान पर रू. 174.94 लाख प्रदान किये जाने हेतु पुनर्विचार के लिये अनुरोध किया गया है।

इकाई को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 अन्तर्गत सुविधा प्रदान की जा रही है जिसकी कण्डिका 3.10 का मूल उद्धरण इस प्रकार है :–

''वाणिज्यिक कर'' से तात्पर्य है म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापार द्वारा मध्यप्रदेश में उत्पादित माल के विक्रय पश्चात् कर के रूप में जमा की गई राशि, जिसमें उत्पादन हेतु क्रय किये गये कच्चे माल के क्रय कर के भुगतान की गई राशि सम्मिलित नहीं होगी।

म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के स्थान पर मूल संवर्द्धन (VAT) कर लागू होने पर केवल ''वाणिज्यिक कर'' के रूप में जमा की गई राशि कर के रूप में मान्य होगी।''

इकाई द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा बैठक के दौरान समिति को अवगत कराया गया कि कॉटन वेस्ट कच्चे माल का वेस्ट अर्थात् अवशिष्ट पदार्थ हैं, जिसके मूल स्वरूप में किसी प्रकार का अंतर प्रोसेसिंग के फलस्वरूप नहीं आता है। यह यार्न निर्माण हेतु उपयोगी न होने से मात्र अवशिष्ट के रूप में कॉटन से पृथक किया जाता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इकाई के मूल उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया में वेस्ट प्रॉडक्ट्स एवं स्क्रैप किस स्टेज पर निकलता है, की पूर्ण जानकारी इकाई से प्राप्त कर समिति की आगामी बैठक में प्रकरण विचारार्थ रखा जावे।

सभी सदस्यों को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

(अरूण कुमार भट्ट)
प्रबंध संचालक
म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति

(पी.के. दाश)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति

परिशिष्ट–'अ'

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की 22वीं बैठक दिनांक 17.09.2013 में उपस्थित अधिकारियों की सूची

————————————

क्र.	नाम	पदनाम एवं विभाग
1	श्री पी.के. दाश	अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग एवं अध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति
2.	श्री नीरज मण्डलोई	सचिव, वित्त विभाग, सदस्य
3.	श्री अरूण कुमार भट्ट	उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, सदस्य प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.आई.डी.सी, सदस्य
		प्रबंध संचालक, एम.पी. ट्रायफेक, सदस्य सचिव
4	श्री ए.के. मिश्रा	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर
	अन्य उपस्थित अधिकारीगण	
1	श्री सी.एस. धुर्वे	मुख्य महाप्रबंधक, एम.पी. ट्रायफेक